12. $\frac{1}{2}$

प्रेषक

निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी,

[illegible]

यादी क्रमांक: [illegible]

दिनांक, चण्डीगढ़:

4./III-93/1596
दि: 21.5.96.

विषय:- 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली शुरु करने की अनुमति प्रदान करना ।

उपरोक्त विषय पर आपके/कार्यालय के यादी क्रमांक [illegible]

दिनांक [illegible] के सन्दर्भ में ।

विभागीय निरीक्षण कमेटी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट/सिफारिश को देखते हुये [illegible] को शैक्षिक सत्र 1996-97 से 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली में कला जमा । तथा जमा 2 में आर्ट्स [illegible] कामर्स संकाय प्रारम्भ करने की स्थाई अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली हेतु राज्य सरकार/विभाग से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान व पद इत्यादि की मांग नहीं करेंगें और इस बारे नार्मअनुसार छात्र/छात्राओं को वांछित सभी आवश्यक साधन/सुविधायें अपने खर्च पर ही उपलब्ध करायेंगें
2. 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली की सम्बन्धित कक्षाओं के लिए प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति विभागीय योग्यता अनुसार अर्थात केवल उन्हीं को प्राध्यापक पद पर लगाया जाये जिन्होंने एम०ए०/एम०एस०सी०/ के सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों तथा सहशिक्षा के लिए विभागीय शर्तों की भी पालना की जाये । इसी प्रकार अन्य पदों पर नियुक्तियां भी हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं/शर्तों के अन्तर्गत की जायेगीं ।
3. सभी छात्र/छात्राओं के लिए फर्नीचर इत्यादि का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये ।
4. दस जमा दो की कक्षाओं के लिए नियुक्तियां नियमानुसार की जायेगी तथा उनको पूरा वेतन अपने साधनों से भुगतान करेंगें । इसके लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जायेगी ।
5. विद्यालय को हरियाणा एजूकेशन बोर्ड की सभी शर्तों का पालना करना होगा ।

6. 10 तथा 2 शिक्षा प्रणाली में केवल वही विषय अथवा संकाय शुरु किये जायेंगे जिनकी टीचिंग/लर्निंग के लिए आवश्यक साधन/सुविधायें विद्यालय में उपलब्ध हों तथा जिनकी अनुमति विभाग द्वारा दी गई हो ।

7. सरकार/विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-2 पर जारी हिदायतों/निर्देशों का पालना किया जायेगा ।

8. सरकार की हिदायतों अनुसार आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा ।

9. प्रवेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा जारी हिदायतों अनुसार किया जायेगा ।

10. यह भी सुनिश्चित किया जावे कि विद्यालय के पुस्तकालय में प्रति छात्र 6 के हिसाब से पुस्तकें उपलब्ध हों ।

11. स्टाफ को वेतन बैंक चैक के द्वारा ही दिया जायेगा ।

12. हरियाणा शिक्षा विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही विद्यालय में पढ़ाई जायेगी ।

13. संस्था में कार्यरत स्टाफ का छः मास के वेतन के बराबर बकाया राशि जिला शिक्षा अधिकारी के नाम फ्लैज करवाई जायेगी ।

14. विद्यालय को प्रदान की गई स्थाई अनुमति किसी भी समय नोटिस देकर वापिस ली जा सकती है ।

Sd/-

उप निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा ।

पृष्ठांकन क्रमांक सम दिनांक: 2-9-96

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रबन्धक [illegible]
2. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।

[signature] 3/9/96

उप निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा ।

A copy is forwarded to Vice-Chairman for his perusal.

Madanwal
11-9-96

/Chairman